परिपत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-33/स0प0/आयरन एण्ड स्टील/ 1011004 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: अप्रैल, 13 2010,

समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/

वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश के बाहर से ट्रेडिंग हेतु आयरन एण्ड स्टील का आयात करने वाले दिनांक 31-3-01 के पश्चात् पंजीकृत व्यापारियों के लिए राजस्व हित में उनके द्वारा आयात के लिए घोषणा पत्र की मांग करने पर उत्तर प्रदेश व्यापारकर अधिनियम की धारा 8-सी (3-ए) एवं विज्ञप्ति संख्या-वित्त (बिक्री कर) अनुभाग-2-8410/10-9(194) दिनांक 31-3-96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नगद जमानत जमा कराने के बाद आयात घोषणा पत्र जारी किये जाने विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0)मु-33/05-06/4847 व्यापारकर दिनांक 20-1-06 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आयरन एण्ड स्टील को प्रचलित थोक बाजार के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित करते हुए अलग-अलग जमानत की धनराशि निर्धारित की गयी थी।

आयरन एण्ड स्टील के मूल्यों में भारी बढ़ोत्तरी के फलस्वरुप मुख्यालय के परिपत्र सं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-33/स0प0/आयरन एण्ड स्टील/1056/वाणिज्य कर दिनांक 10-7-08 से संशोधित करते हुए प्रथम श्रेणी के लिए 900 रुपये प्रति मी0टन, द्वितीय श्रेणी के लिए 1400 रुपये प्रति मी0टन, तृतीय श्रेणी के लिए 1600 रुपये प्रति मी0टन तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 2400 रुपये प्रति मी0टन जमानत जमा कराने के निर्देश दिये गये थे।

आयरन एण्ड स्टील के मूल्यों में जुलाई 08 के सापेक्ष हुए परिवर्तन को देखते हुए एवं इस संबंध में विभिन्न व्यापारिक संगठनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किए जाने पर यह पाया गया कि वर्तमान में आयरन एण्ड स्टील के विभिन्न श्रेणियों के मूल्यों में परिवर्तन एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के आयरन एण्ड स्टील पर प्रवेश कर के दायित्व के प्रकाश में आयात घोषणा पत्र जारी करते समय ली जाने वाली जमानत में आंशिक संशोधन किया जाना उचित होगा।

अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित अधिनियम 2008 की धारा 19(3) के अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि आयरन एण्ड स्टील के ट्रेडर्स द्वारा प्रान्त बाहर से उपरोक्त श्रेणियों के आयरन एवं स्टील के आयात के लिए आयात घोषणा पत्र की मांग करने पर निम्न प्रकार जमानत जमा कराने के पश्चात् आयात घोषणा पत्र जारी किये जाएँ:-

1-	पिग आयरन, स्पंज आयरन, कास्ट आयरन एवं विभिन्न प्रकार के आयरन स्क्रैप	रु0-900 प्रति मी0टन
2-	इंगट, ब्लूम, बिलेट, स्लैब, स्टील सेमीज	रु0-1300 प्रति मी0टन
3-	स्टील बार(राउण्ड, राड, स्क्वायर, फ्लैट, आक्टागन, हेक्सागन, प्लेन एण्ड रिब्ड अथवा ट्विस्टेड) एंगिल, ज्वाइस्ट, चैनल, टीज, जेड सेक्शन	रु0-1750 प्रति मी0टन
4-	वायर, स्टील ट्यूब्स, शीट्स एण्ड स्ट्रिप्स (ब्लैक एण्ड गैलवेनाइज्ड, हाट एण्ड कोल्ड रोल्ड, प्लेन अथवा कारोगेटेड)एवं अन्य प्रकार के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 में वर्णित आयरन एण्ड स्टील जिसमें टूल,एलॉय एवं स्पेशल स्टील, व्हील्स एवं एक्सेल शामिल नहीं हैं।	रु0-2400 प्रति मी0टन

यह आदेश दिनांक 15/5/10 से प्रभावी होगा। मुख्यालय के परिपत्र सं0-4847 दिनांक 20-1-06 एवं 1056 दिनांक 10-7-08 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। परिपत्र सं0-4847 दिनांक 20-1-06 एवं इसी क्रम में जारी अन्य परिपत्रों में अंकित शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

13/5/10
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
(3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में।
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वणिज्य कर अधिकरण वणिज्य कर, उ0प्र0।
(5) विशेष कमिश्नर वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ।
(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—1, वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित प्रेषित कि जोन में स्थित समस्त व्यापारिक संगठनों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
(7) समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 17/ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्धक, इसेंटिव पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर—10 नोएडा।
(15) ज्वाइंट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेट कमिश्नर सर्वोच्च न्यायालय (कार्य) गाजियाबाद।
(16) ज्वाइंट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेट कमिश्नर उच्च न्यायालय (कार्य) लखनऊ/इलाहबाद।
(17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5—5 तथा 5 प्रतियॉ।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को सूचनार्थ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वणिज्य कर, मुख्यालय।
(20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज लखनऊ।
(21) श्री अधिशसी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी—15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय वणिज्य कर सलाहकार समिति, 29—बी विधायक निवास दारूलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चैम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कनपुर।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0—17 गोमती नगर, लखनऊ।

(27) पी0एच0डी0 चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1–ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
(29) आल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी–4 साइट संख्या–3 मेरठ रोड इन्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
(30) कनफेडरेशन आफ इण्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य) के माध्यम से।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10– इन्जीनियर्स काम्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
(33) शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
(34) श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए–5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45, चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
(39) श्री अशोक धवन सी. के–24/1 कुँजगली, वाराणसी।
(40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707 पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0 जैन, 138–ए ब्लाक–ए सेक्टर–27 नोएडा।
(42) श्री ब्रिम चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स फेडरेशन (रजि0), पुल दाल मण्डी, सहारनपुर।
(43) आर0डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
(46) श्री इन्डियन इण्ड0 एसो0,, 159/ए–8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
(47) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51–बी उद्योग नगर, कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3–एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58–ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(52) श्री नन्दलाल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ–3, पार्क रोड, लखनऊ।
(54) श्री अरूण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0–बी–29, विधायक निवास, दारुलशफा, लखनऊ।
(55) श्री माननीय अध्यक्ष, वणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27–ए मिशन कम्पाउण्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6–ए, उ0बी0एन0 रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
(58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस–2 गोमती नगर, लखनऊ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल(पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।

(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67 / 116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।

(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्सबार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)।

(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल–22 / 26 आशदेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।

(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर गली न0–6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ यू0पी0।

(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।

(66) श्रीमती इन्दू मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0–51 राजनगर, गाजियाबाद।

(67) श्री बी0एन0 शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पैट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

13/4/10

(रमेन्द्र कुमार)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।